

(निगम के उत्पाद स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम डीलरशिप हेतु नियम एवं शर्तें)

1. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ

(क) भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड /संस्था से किसी भी विषय में माध्यमिक शिक्षा /10 वीं उत्तीर्ण

(ख) डीलर आवेदक अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य और उत्तम चरित्र का होना चाहिए |

2. आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष,

3. डीलरशिप हेतु न्यूनतम निवेश राशि - रु 25,000/-

4. डीलरशिप कार्य एवं लाभ -

1. पशुपालक / किसानों को स्पेशल गोल्ड दूधधारा कैल्शियम कैन (5 लीटर) की बिक्री करना |

2. "स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालक योजना" का लाभ पशुपालकों तक पहुँचाना | इस योजना के तहत पशुपालक / किसान परिवार द्वारा स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम कैन (5 लीटर) की खरीद पर एक लाख का दुर्घटना बीमा (निःशुल्क) जारी करना | (एक कैन खरीदने पर एक व्यक्ति का एक साल के लिए दुर्घटना बीमा जारी होगा |)

5. स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम (5 लीटर कैन) एक आयुर्वेदिक सीरप है | डीलर को यह कैन MRP 925 /- के 38.37 % डिस्काउंट के लाभ में उपलब्ध करवायी जायेगी |

6. इच्छुक आवेदक को डीलर शिप हेतु आवेदन पत्र सभी वांछित दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क के साथ निगम कार्यालय में जमा करवाना होगा |

7. चयनित डीलर को कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर निगम में जमा करवाना है |

8. निगम में जमा कराई गई राशि के बदले में डीलर को निर्धारित दर पर उत्पाद भेजा जायेगा |

9. डीलर को निगम के उत्पाद **FOR** होंगे |

10. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तथा निवेश राशि जमा करवाने के उपरांत किसी कारणवश डीलर यदि निगम को छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है परन्तु उस स्थिति में 50% निवेश राशि क्षतिपूर्ति के रूप में जब्त कर दी जाएगी | उत्पाद लिए जाने के बाद छोड़ने पर दिया हुआ माल वापस नहीं होगा |

11. डीलर प्रति सप्ताह सोमवार को निगम को सेल्स रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में भेजेगा |

12. निगम हेल्पलाइन 0141- 2202271 (सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे तक)